ओडिशा राष्ट्रभाषा परिषद्, जगन्नाथ धाम, पुरी

परीक्षा भवन संबन्धी नियमावली

१. परीक्षा प्रारम्भ होने के २० मिनट पूर्व प्रश्नपत्र का लिफाफा निरीक्षकों के प्रत्यक्ष में ही खोला जायेगा।

२. उस लिफाफे के ऊपर खोलने का समय, तिथि और निरीक्षकोंका स्वाक्षर रहेगा।

३. प्रति ४० परीक्षार्थीयों के लिए एक निरीक्षक नियुक्ति किए जायेंगे जो केन्द्र व्यवस्थापक की विवेचनानुसार उपयुक्त समझे जायेंगे।

४. परीक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तक पर क्रमसंख्या और पत्रसंख्या साफ लिखें एवं उत्तर पुस्तकें भेजते समय परीक्षा के भिन्न भिन्न पत्र परीक्षार्थीयों की क्रमसंख्याओंके अनुसार श्रृंखलित रहे, उस पर निरीक्षक विशेष ध्यान दें। क्रमसंख्याओं के अनुसार उत्तरपुस्तकें सजावें।

५. परीक्षा के अन्तिम दिवस परीक्षा समाप्त होते ही केन्द्रव्यवस्थापक कृपया सभी व्यवहृत या अव्यवहृत उत्तर-पुस्तकें, प्रश्नपत्र, प्रश्न लिफाफे, उपस्थान पत्र, मौखिक परीक्षा प्राप्तांक केन्द्र खर्च हिसाब आदि परिषद् के कार्यालय में भेज दें।

६. प्रत्येक बैठक के लिए निरीक्षक पारितोषिक की दर ५.०० और सेवक पारितोषिक की दर रु ३.०० पैसे रखी गयी है।

७. विनोद की मौखिक परीक्षा का प्रबन्ध केन्द्र व्यवस्थापक योग्य व्यक्ति से करावें। प्रवीण और शास्त्री की मौखिक परीक्षा का प्रबन्ध परिषद् की ओर किया जायेगा अथवा सूचित किया जायेगा।

८. परीक्षार्थीयों के प्रवेशपत्र परीक्षा के तीन दीन पूर्व ही वितरित किये जायेंगे।

९. परीक्षा चलते समय अधिकारप्राप्त कोई व्यक्ति, क्षेत्राधिकारी या उनके द्वारा प्रेरित शिक्षा विभागीय कर्मचारी अथवा परिषद् द्वारा प्रेरित आधीक्षक केन्द्र में जाकर केन्द्र व्यवस्थापक की अनुमति ग्रहण कर परिदर्शन कर सकेंगे।

१०. परीक्षा केन्द्र का पूरा तत्वावधान केन्द्र व्यवस्थापक के ऊपर रहेगा। परीक्षा की सुविधा और अत्यांवश्यकता की दृष्टि से केन्द्र व्यवस्थापक समुचित प्रबन्ध कर सकेंगे। आवश्यकतानुसार विशेष सूचना परवर्ती डाकसे यथासमय दी जायेगी।

परीक्षा मन्त्री

Ph (06752) 227684

ओडिशा राष्ट्रभाषापरिषद्, जगन्नाथ धाम, पुरी

परीक्षा सम्बन्धी नियमावली

महाशय,

परीक्षा कमेटी की बैठक ता _____ के अनुसार

१. आगामी प्राथमिक से प्रबीण/शास्त्री तक परीक्षाएँ ता _____ को होगा ।

२. सशुल्क आवेदन पत्र ता _____ तक परिषद कार्यालय में पहुँच जाना चाहिए ।

३. परीक्षा शुल्क – केवल बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भेजें । रसिद का संख्या और तारीख की नकल अपने पास अवश्य रखें ।

४. (क) नीचे लिखे अनुसार रकम काट कर अवशिष्ट शुल्क परिषद में भेजें ।

यथा– अपने केन्द्र के वसुल किये गये समुदाय परीक्षा–(साधारण) शुल्क से –

प्राथमिक से प्रवीण		शास्त्री परीक्षा शुल्क
40%	प्रचारक पारितोषिक	20%
10%	केन्द्र व्यवस्थापक मानदेय	10%
50%	परिषद प्राप्य	70%

अस्थायी अतिरिक्त (सीधे) शुल्क से कुछ नहीं काटे जा सकते अर्थात अतिरिक्त शुल्क पूरा परिषद को प्राप्त होगा ।

५. प्रत्येक आवेदन पत्र का शुल्क रू० १/– रहेगा । इस शुल्क की रकम से पचिस पैसे मात्र परिषद को भेज कर बाकी पच्चत्तर पैसें केन्द्र व्यवस्थापक जी के पास रहेगी । इससे केन्द्र के परीक्षा सम्बन्धी सभी खर्च कीये जायेगे । जैसे – डाक, पार्सल, निरीक्षक, सेवक, कंटीजैण्ट, M.O.C. आदि । खर्च के वाद रकम बचे तो केन्द्र की उन्नति में व्यवस्थापक खर्च करेंगे । कम हो तो परिषद नहीं दे सकेगी ।

६. प्रचारक किसी भी हालत में केन्द्र व्यवस्थापक अथवा परीक्षा भवन के निरीक्षक नहीं बन सकते ।

७. प्रत्येक प्रचारक को यह ध्येय होगा कि अपने विद्यालय के प्रधान शिक्षक को हि केन्द्र व्यवस्थापक वनावे, क्यों कि उन महाशयों से परिषद को, अतीत में बहुत बडी सहायता मिली है और भविष्य में मिलेगी भी ।

८. प्रचारक अपने पारितोषिक चालीश के हिसाव से प्राप्त रकम कि रसिद रेविन्यू ष्टाम्प मारकर अवश्य भेजेंगे ।

परीक्षामंत्री